छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 2542/361/वि–3/ग्रायांसे/2011 रायपुर, दिनांक 10/08/2011

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला–पंचायत कबीरधाम
छत्तीसगढ़

विषय :– **न्यूनतम् वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत् श्रमिकों के लिए न्यूनतम् मजदूरी दर का निर्धारण ।**

संदर्भ :– आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 2020/A, दिनाँक 21.07.2011

कृपया आपके अर्द्धशासकीय पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा बताया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के अंतर्गत् कार्यरत श्रमिकों को विभागीय पत्र क्रमांक 2721, दिनाँक 02.08.2010 द्वारा रूपये 100/– प्रतिदिन भुगतान करने के निर्देश दिये गये है जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत् कार्यरत् कुशल श्रमिकों को विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र कमांक 242/वि–3/MGNREGA/Wagerate/2011 रायपुर, दिनाँक 28.01.2011 के अनुसार रू. 122/–प्रतिदिन से भुगतान करने का लेख किया गया है जिसके कारण अन्य योजनाओं में मजदूरी की दर कम (रू. 100.00 प्रति दिन) होने से मजदूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कियान्वयन में रूचि नही लेते है जिसके कारण कार्य अधूरे रहते हैं, अतः दरों में युक्तयुक्तिकरण किया जावें ।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 02.08.2010 को जारी दरें तत्समय मनरेगा के कार्यो में लागू थी तथा बाद में मनरेगा में मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण 01.01.2011 से रूपये 122 प्रतिदिन की दरें लागू की गई थी । जहां तक अन्य योजनाओं में भी रूपये 100 प्रतिदिन मजदूरी भुगतान का प्रश्न है, वह सिर्फ मनरेगा में 31.12.2010 तक ही लागू थी । इस संबंध में मुख्य अभियंता के पत्र कमांक 2972/361/वि–3/ग्रायांसेवा/2010, दिनाँक 19.10.2010 द्वारा सभी कार्यपालन अभियंताओं को स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रति आपको भी दी गई थी ।

3. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर शेष अन्य सभी योजनाएं जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा या अन्य विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है, उनमें श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा निर्धारित न्यूनतम् वेतन जो वर्तमान में अकुशल श्रमिकों के लिए वर्तमान में रू. 159.07 प्रतिदिन है, लागू होती है । यह दरें दिनाँक 01.04.2011 से दिनाँक 30.9.2011 तक प्रभावशील है अतः 1 अक्टूबर 2011 से पुनः इसका पुनरीक्षण किया जावेगा जिसके लिये श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी होने वाली अधिसूचनाओं को देखा जावे ।

4. इस संबंध में श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं न्यूनतम् वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत् सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8/न्य.वे./श्र.आ./2011/2336, रायपुर दिनाँक 25.3.2011 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य योजनाओं में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम् वेतन मजदूरी का भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. कमांक 2543/361/वि–3/ग्रायांसे/2011 रायपुर, दिनांक 10/08/2011

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ (कबीरधाम को छोड़कर) ।
4. समस्त कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, छत्तीसगढ़ ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय सहायक श्रमायुक्त रायपुर जिला रायपुर

परिपत्र

श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 33 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना कमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिकमित करते हुए, नई अधिसूचना कमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई हैं।

उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना कमांक एफ 10–16/2010/16 में अप्रेल 2010 के पूर्व मंहगाई भत्ता को मूल वेतन में समाहित किया जाकर नवीन न्यूनतम वेतन की गणना की गई हैं। (अ–क)

वित्त विभाग, के पत्र कमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य मे प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना कमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में दैनिक/वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए वेतन की दरें जो कि दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011 तक देय हैं।

(अनुसूची–अ)

अनुसूची–अ–45 अनुसूचित नियोजनों हेतु

दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011

श्रेणी	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	3432.00	132.00	704.00	27.07	4136.00	159.07
अर्द्धकुशल	3614.00	139.00	704.00	27.07	4318.00	166.07
कुशल	3874.00	149.00	704.00	27.07	4578.00	176.07

कृपया घोषित न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगतान नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों को न करें, अन्यथा विधान के उल्लघनार्थ कार्यवाही की जावेगी।

(डी.पी.तिवारी)
सहायक श्रमायुक्त
रायपुर जिला रायपुर

पृ.क/एफ/दस/रा.जि./ 731-830 रायपुर दिनांक 02/5/2011

प्रतिलिपि:–

1. नियोजक/श्री ....।
2. श्री ....।

(डी.पी.तिवारी)
सहायक श्रमायुक्त
रायपुर जिला रायपुर